UPET040065992023

<u>न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०, त्वरित न्यायालय, एटा।</u>
<u>उपस्थित: श्रीमती कमलेश कुमारी उ०प्र० न्यायिक सेवा(JO Code–UP 3528)</u>
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1156/2023
प्रदीप आदि बनाम सुनील कुमार

परिवाद संख्या–8466/2022
धारा–323, 452, 504, 506 भा०दं०सं०
थाना–राजा का रामपुर, जनपद एटा

<u>17–03–2023</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. प्रदीप पुत्र श्यामलाल, 2. रामकिशन पुत्र श्यामलाल, 3. मनीषा पत्नी प्रदीप, तथा 4. आनन्दी पत्नी रामकिशन, निवासीगण ग्राम गढ़िया जगन्नाथ, थाना राजा का रामपुर, जिला एटा** द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रकरण में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया कि अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उन्हें पार्टीबन्दी के कारण झूंठा फंसाया गया है। उन्होंने उपरोक्त घटना से सम्बन्धित कोई अपराध कारित नहीं किया है। मामला परिवाद पर आधारित है। अभियुक्तगण को एकपक्षीय साक्ष्य के आधार पर तलब किया गया है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। अतः अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण पर घर में घुसकर गाली–गलौज कर मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। मामला परिवाद पर आधारित है तथा अभियुक्तगण को एकपक्षीय साक्ष्य के आधार पर तलब किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का आदेश दिनांकित 14–02–2023 पत्रावली पर दाखिल किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आदेश के दिनांक से छः माह के अंदर ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होकर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने तथा जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण त्वरित रूप से करने हेतु आदेशित किया गया है। अभियुक्तगण आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। मामला मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अतः उपरोक्त मामलें के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **प्रदीप, रामकिशन, मनीषा एवं आनन्दी** प्रत्येक की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में मुव० 20,000/–रू० का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर अवमुक्त किया जाये।

(कमलेश कुमारी)
सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०,
त्वरित न्यायालय, एटा

Digitally signed by Kamlesh Kumari
Date: 2023.03.17 16:18:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court